भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 399
02 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

मछुआरों और मत्स्यपालकों के लिए बीमा

399 श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के सभी जिलों, विशेषकर कोणसीमा जिले में मछुआरों और मत्स्य पालकों को सामूहिक दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में इस बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किये गये लाभार्थियों (महिला/अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) की वर्ष और जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में इस योजना के अन्तर्गत प्रीमियम भुगतान हेतु आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में प्रत्येक श्रेणी के बीमा कवरेज के अंतर्गत किए गए, निपटाए गए और लंबित दावों का वर्ष और जिला-वार ब्यौरा क्या है और दावों के भुगतान के तहत संवितरित की गई कुल राशि कितनी है; और

(ङ) राज्य में इस योजना के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए पैनल में शामिल कार्यान्वयन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने दावों के भुगतान संवितरण में विलंब अथवा कवरेज अस्वीकरण को दूर करने के लिए शिकायत निवारण अथवा निगरानी तंत्र की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (च): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास और मछुआरों के कल्याण के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए एक प्रमुख योजना 'प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) लागू कर रहा है। यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ PMMSY के तहत समूह दुर्घटना बीमा योजना (GAIS) के माध्यम से समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरों और मत्स्य श्रमिकों सहित मछुआरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें दोनों, समुद्री एवं अंतर्देशीय मछुआरों और मत्स्य किसानों को शामिल किया गया है, जिसमें संपूर्ण बीमा प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य के बीच सामान्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में, हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है

जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में पूरी प्रीमियम राशि केंद्र द्वारा वहन की जाती है। समूह दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रदान की गई बीमा कवरेज में (i) मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता के लिए 5,00,000/- रुपए (ii) स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता के लिए 2,50,000/- रुपए और (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताली खर्च के लिए 25,000/- रुपए की राशि शामिल है। PMMSY के अंतर्गत, शुरू से अब तक, सरकार ने 167.30 लाख मछुआरों के समूह दुर्घटना बीमा कवरेज के लिए प्रीमियम के तौर पर 149.07 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें प्रतिवर्ष औसतन 33.46 लाख मछुआरे कवर किए गए हैं, जिसमें मछुआरों और मत्स्य किसानों से कोई योगदान नहीं लिया गया है। जहां तक आंध्र प्रदेश में समूह दुर्घटना बीमा योजना के कार्यान्वयन का संबंध है, राज्य ने अब तक समूह दुर्घटना बीमा योजना में भाग लेने की इच्छा नहीं जताई है और सूचित किया गया है कि राज्य सरकार मत्स्यन के दौरान मरने वाले मछुआरों के परिवारों को अनुग्रह राशि दे रही है।

*****